फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

भैरू सिंह विपक्षी बख्तावर सिंह

मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 148/21 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
2/9/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षगण उपस्थित। प्रा.पत्र 01 R 10 CPC पर बहस सुनी गई। कोई विशेष आपत्ति नहीं होने से प्रा.पत्र 01 R 10 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया जाता है। वादी संशोधित टाइटल पेश करे व प्रतिवादी अपना जवाब पेश करे। पत्रावली दिनांक 25/11/22 को पेश हो।	
25/11/2022 बतलाया वादी/प्रतिवादी उप./ जवाब के लिये मौका चाहते है। अतः ए.ल. अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 06/01/2023 को पेश हो। SDO मावली	
06/01/23 बतलाया वादी/प्रतिवादी उप./ जवाब के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 17/03/23 को पेश हो। SDO मावली	
17/3/23 आज दिनांक को बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/6/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested

20/6/23

पत्रावली तल... "प्रशासन गांवों के संग अभियान-20... जाने से पत्रावली में अधिवक्ता ... का सूचना किया जाकर पत्रावली ... घोषणा
दिनांक 14/6/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO मावली

14/6/23

पत्रावली आज कैम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 11/9/23 को पेश हों

सहायक कलक्टर
SDO मावली

11/7/2023 पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा तलबी मय विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादी सं. 5 फौत होने से प्रा. पत्र 022R3CPC का पेश किया, शा. फा. रहे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अत: कोई आपत्ति नहीं होने से वादी का प्रा. पत्र 022R3CPC का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी सं. 5/1 से 5/4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। अधि. वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया, शा. फा. रहे। अधि. वादीगण द्वारा प्रा. पत्र विड्रो का पेश कर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। वादी सं. 5/1 से 5/4 की ओर से अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा वकालतनामा पेश किया, शा. फा. रहे। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अत: वादीगण कोई कार्यवाही नहीं ... प्रकरण को आगे चलाये जाने ... अत: प्रकरण को इसी स्तर ... फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

नेहा सिंह

शिवलाल सिंह

देवत सिंह

Narendra Singh

गंगा कुंवर

सविता कुँवर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

सहायक कलक्टर
SDO मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested